कार्यालय कलेक्टर धमतरी, जिला -धमतरी (छ0ग0)

क्रमांक / 2012 /

धमतरी, दिनांक / /2012

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
धमतरी, कुरूद, नगरी
जिला धमतरी (छ.ग.)

कार्यालय, श्रम आयुक्त
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
आवक 1736
दिनांक 11 DEC 2012
शाखा X-1

विषयः- बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत सर्तकता समितियों के गठन बाबत्।

--00--

अनुविभाग स्तर पर बंधक श्रमिक प्रथा (समाप्ति)अधिनियम 1976 के अंतर्गत धारा 13 के अनुरूप सतर्कता समिति का गठन किया जाना है। सतर्कता समिति में निम्नानुसार सदस्य आपके द्वारा नामांकित रहेंगेः-

1 अनुविभागीय दण्डाधिकारी,	–	अध्यक्ष
2 अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के 3 सदस्य जो अनुविभागीय में निवासरत हों,	–	सदस्य
3 अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित 2 सामाजिक कार्यकर्ता जो अनुविभाग के निवासी हों,	–	सदस्य
4 आपके अनुविभाग से ग्रामीण विकास से संबंधित 3 शासकीय या अर्द्धशासकीय अधिकारी,	–	सदस्य
5 अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित वित्तीय संस्थाओं से संबंधित एक सदस्य जो अनुविभाग का निवासी हो	–	सदस्य

निर्देश है कि अपने अनुविभाग में उपरोक्तानुसार सतर्कता समिति का गठन कर इस कार्यालय को सूचित करें ताकि अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन रायपुर को सूचित किया जा सके।

6.11.2012
कलेक्टर
जिला धमतरी (छ0ग0)

पृ0क्र0 / 2012 / 1562
धमतरी, दिनांक 06/11/2012

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, श्रम विभाग रायपुर
2. आयुक्त, छ.ग. शासन रायपुर

की ओर सूचनार्थ।

6.11.2012
कलेक्टर
जिला धमतरी (छ0ग0)